

प्ररूप

आ.क.वि-5

भारतीय आयकर विवरणी
(i) व्यष्टि(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से
भिन्न व्यक्ति]
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)
(कृपया अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ष

2	0	2	0	-	2	1
---	---	---	---	---	---	---

भाग क-साधारण		साधारण		
व्यक्तिगत जानकारी	नाम	स्थायी लेखा संख्यांक		
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,		
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	विश्वना की तारीख (दि.मा.व)	
			कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)	
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),	
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड/ जिप कोड	
		देश		
	निवास/कार्यालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1		मोबाइल सं० 2	
	ई-मेल पता-1	ई-मेल पता-2		
	(क)	धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।	
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग		
	क्या आप एक कारबार न्यास हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	क्या आप धारा 115 पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(ख)	यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-1)	/ /		
(ग)	यदि धारा 139 (9) / 142 (1) / 148/153 क / 153 ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर / दस्तावेज पहचान संख्या(डीआईएन) और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /	
(घ)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी			
(ङ.)	क्या निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी विनिमय में प्राप्त करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
(च)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(छ)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें			
(ज)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
(झ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें			
(ञ)	अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
(ट)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदिहां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।			
(ठ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--			
(1)	प्रतिनिधि का नाम			
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (डाप डाउन उल्लिखित करें)			
(3)	प्रतिनिधि का पता			
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या			

(ड)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	फर्म का नाम						स्थायी लेखा संख्यांक							
(ढ)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित अंश				वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष		
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क 2	क्या निर्धारित केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क2i	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क2ii	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
क 2iii	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल मिलाकर, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें													
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखनिशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (कार द्वारा की गई है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं,													
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /												
	(ii)	कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम												
	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या												
	(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)												
	(v)	संपत्तिक/ फर्म) रजिस्ट्रीकरण संख्या												
	(vi)	संपत्तिक/फर्म) लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)/ आधार संख्या												
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख												
(घ)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख दिन/मास/वर्ष							
(घii)	यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें? (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश देखें)													
	क्रम संख्यांक.			सेक्शन कोड				तारीख (दिन/मास/वर्ष)						
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें?													
	अधिनियम और धारा			(दिन/मास/मास)				अधिनियम और धारा			(दिन/मास/मास)			
अ.	क्या पूर्ववर्त के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के व्योरे दें) यदि हां, निम्नलिखित व्योरे उपबंधित करें।													
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम			प्रवेश/निवृत्ति		प्रवेश/निवृत्तिकी तारीख			अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)				
	1.													
	2.													
आ	क्या एओपी/बीओआई /एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई /एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
ई.	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय /एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2020 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक /न्यासी /फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था													
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)		एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)	पूँजी पर ब्याज की दर	संदत्त/संवेद्य पारिश्रमिक			
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)			

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है							
	1	क्या हिताधिकारी के शेष अवधारित या ज्ञात हैं ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):							
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)							
	क.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो				वर्णन		
	(i)								
	(ii)								

भाग क- वीएस

31 मार्च, 2020 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत						
	1	भागीदार/सदस्यता निधि						
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी						क
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष-1						
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi					
	ii	पूंजी आरक्षिति	खii					
	iii	कानूनी आरक्षिति	खiii					
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv					
	v	लाम और हानि लेखा का जमा शे-1	खv					
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)	खvi					
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)						1ग
	2	ऋण निधि						
	क	प्रतिभूत ऋण						
	i	विदेशी करेंसी में ऋण	का					
	ii	रुपए में ऋण						
	अ	बैंकों से	iiअ					
	आ	अन्य से	iiआ					
	इ	योग (iiअ+iiआ)	iiइ					
	iii	कुल प्रतिभूत ऋण (का+ii इ)	कiii					
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निकषेप सहित)						
i	विदेशी मुद्रा ऋण	का						
ii	रुपया ऋण							
अ	बैंकों से ऋण	iiअ						
आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ						
इ	अन्य से	iiइ						
ई	कुल रुपया ऋण (ii+iiआ+iiइ)	iiई						
iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)	खiii						
ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)						2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व						3	
4	अग्रिम							
i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से						i	
ii	अन्य से						ii	
iii	कुल अग्रिम (i+ii)						4iii	

5	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)	5	
आ	निधियों का उपयोग		
1	नियत आस्तियां		
	क सकल : ब्लॉक	1क	
	ख अवक्षयण	1ख	
	ग शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग	
	घ प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ	
	ङ योग (1ग+1घ)		1 ङ
2	विनिधान		
	क दीर्घकालिक विनिधान		
	i संपत्ति में विनिधान	i	
	ii साम्या लिखत		
	अ सूचीबद्ध साम्या	iiअ	
	आ असूचीबद्ध साम्या	iiआ	
	इ योग	iiइ	
	iii अधिमानी शेयर	iii	
	iv सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv	
	v डिबेंचर या बंधपत्र	v	
	vi पारस्परिक निधियां	vi	
	vii अन्य	vii	
	viii कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii)		कviii
	ख अल्पकालिक विनिधान		
	i साम्या लिखत		
	अ सूचीबद्ध साम्या	iअ	
	आ असूचीबद्ध साम्या	iआ	
	इ योग	iइ	
	ii अधिमानी शेयर	ii	
	iii सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii	
	iv डिबेंचर या बंधपत्र	iv	
	v पारस्परिक निधियां	v	
	vi अन्य	vi	
	vii कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi)		खvii
	ग कुल विनिधान (कviii+खvii)		2ग
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम		
	क चालू आस्तियां		
	i सूचियां		
	अ कच्चा माल	iअ	
	आ प्रगतिगत स्टॉक	iआ	
	इ तैयार माल	iइ	
	ई व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई	
	उ भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iउ	
	ऊ खुले औजार	iऊ	
	ए अन्य	iए	
	ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)		iऐ
	ii विविध देनदार		
	अ एक से वर्रा से अधिक के लिए बकाया	iiअ	
	आ अन्य	iiआ	
	इ कुल विविध लेनदार		iiइ
	iii नकदी और बैंक अतिशे-1		
	अ बैंक में अतिशे-1	iiiअ	
	आ हाथ में नकदी	iiiआ	
	इ अन्य	iiiइ	
	ई कुल नकदी और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)		iiiई
	iv अन्य चालू आस्तियां		कiv
	v कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)		कv
	ख ऋण और अग्रिम		
	i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi	
	ii निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खii	
	iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशे-1	खiii	
	iv योग (खi + खii + खiii)		खiv
	v खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं		
	क कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक	
	ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख	
	ग योग (कv+खiv)		3ग
	घ विद्यमान दायित्व और उपबंध		

भाग अ- व्यापार
लेखा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व				
		क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)			
			i	माल का विक्रय	i	
			ii	सेवाओं का विक्रय	ii	
			iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
				क	iii क	
				ख	iii ख	
				ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग
			iv	योग (i + ii + iii ग)		कiv
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			
व्यापार लेखा में जमा	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				
		i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	वैट/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix	
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)				4घ
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक				5
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग (4घ + 5iv)				6
	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक				7
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)				8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9
व्यापार लेखा से बिकलन		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	बिजली और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
			टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है			
	10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रति शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
	vi	वैट/विक्रय कर	10vi			
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi			
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित				11
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित				12

भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ				13
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमीशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	व्याज आय	iv		
		v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	vi		
		vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			

	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
	x	कृषि-आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		xi क		
		ख		xi ख		
		ग	योग (xi क + xi ख)	xi ग		
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi ग)			14xii	
15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13 + 14xii)				15	
16	जावक भाड़ा व्यय				16	
17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग				17	
18	बिजली और ईंधन				18	
19	किराया				19	
20	भवन की मरम्मत				20	
21	मशीनरी की मरम्मत				21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वितन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)			22xi	
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii क	हां / नहीं		
		यदि हां तो, अनिवासियों को संदत्त रकम	xii ख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii			
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मचारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				24	
25	सनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग I (i + ii)			31iii	
32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास				33	
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				34	
35	विदेश यात्रा व्यय				35	
36	प्रवहण व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	
39	क्लब व्यय				39	
40	उत्सव समारोह व्यय				40	
41	छात्रवृत्ति				41	
42	दान				42	
43	संदान				43	

44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii			
	iv	उप कर	44iv			
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix			
x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x		
45	संपरीक्षा फीस				45	
46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				46	
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	योग (i + ii)		47iii		
48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)					
	i(1)		48i(1)			
	i(2)		48i(2)			
	i(3)		48i(3)			
	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]		48i			
ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)		48ii			
iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)		48iii			
iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii		48iv			
49	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				49	
50	अन्य उपबंध				50	
51	ब्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]				51	
52	ब्याज					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर संदत्त या भारत के भीतर संदत्त		i		
	ii	अन्यों को		ii		
	iii	योग (i + ii)		52iii		
53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				53	
54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 – 52iii – 53)				54	
55	चालू कर के लिए उपबंध				55	
56	आस्थगित कर का प्रावधान				56	
57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)				57	
58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष				58	
59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)				59	
60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित				60	
61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 – 60)				61	
62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	(i) सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (ik + ix)					62i
	क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		ik		
	ख	किसी अन्य ढंग से		ix		
	(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iix)					62ii
	क	62ik का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो		iik		
	ख	62ix का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो		iix		
	टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)				
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	(i) सकल प्राप्तियां					63i
(ii) धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)					63ii	

टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है							
64 धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना							
क्रम सं.		कारबार का नाम			कारबार कोड		विवरण
	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो		
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
(क)							
(ख)							
				कुल			
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)							
(ii) धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]							64(ii)
(iii) कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक							64(iii)
(iv) धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)							64(iv)
टिप्पण—यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।							
65 यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें							
(i) कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए							
a सकल प्राप्तियां (क1 + क2)				ik			
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क1		
	2	किसी अन्य ढंग से			क2		
ख	सकल लाभ				ix		
ग	व्यय				ig		
घ	शुद्ध लाभ				65i		
(ii) वृत्तिरत निर्धारिती के लिए							
क सकल प्राप्तियां (क1 + क2)				iiक			
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			क1		
	2	किसी अन्य ढंग से			क2		
ख	सकल लाभ				iiख		
ग	व्यय				iiग		
घ	शुद्ध लाभ				65ii		
(iii) कुल लाभ (65i + 65ii)				65iii			
66 i सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन							
ii सकल लाभ				66i			
iii व्यय, यदि कोई हो				66ii			
iv सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)				66iii			
				66iv			

लेखापरीक्षा मामला

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]	3ख
4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
	क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	
	घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ
	ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ-हानि लेख में जमा न की गई रकम, जो-	
	क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क

अन्य जानकारी

	ख	प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धि कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
	ग	पूर्ववर्त के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानि लेख में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेख में विकलित रकम			
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी की बाबत संदत्त व्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80गघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
	ठ	सूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	सूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार से आय में शामिल नहीं किया गया है I [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ	
	द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
	ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध	
	न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6घ का योग)		6 न
	प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
		i भारत में तैनात	i	
		ii भारत से बाहर तैनात	ii	
		iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिबिद्ध है	7छ	
	ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)		7ञ
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क)(i क) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अनुज्ञात योग्य रकम	अग	
	घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच	
	छ	राजस्व, अनुज्ञापति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अझ

आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ
---	--	----

9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एजोपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारितों द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ	
ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ	
च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9च	
छ	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)		9 छ
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाणीकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ	
ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)		10ज
11	पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवाणीकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
घक	कर निर्धारितों द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।		
ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	
छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ	
ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)		11ज
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
ज	कोई अन्य कर	12ज	
झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15
16	धारा 14क के अधीन अननुज्ञेय व्यय		16

17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	
----	--	----	--

भाग क-परिणात्मक ब्योरे		परिणात्मक ब्योरे (यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)	
(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में		
	1 आरंभिक स्टाक	1	
	2 पूर्व वन के दौरान क्रय	2	
	3 पूर्व वन के दौरान विक्रय	3	
	4 बंद स्टाक	4	
	5 कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5	
(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में		
	6 कच्ची सामग्री		
	क आरंभिक स्टाक	6क	
	ख पूर्व वन के दौरान क्रय	6ख	
	ग पूर्व वन के दौरान उपभोग	6ग	
	घ पूर्व वन के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ बंद स्टाक	6ङ	
	च प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
	छ प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
	ज कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7. तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
	क आरंभिक स्टाक	7क	
	ख पूर्व वन के दौरान क्रय	7ख	
	ग पूर्व वन के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ पूर्व वन के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ बंद स्टाक	7ङ	
	च कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्योरे प्रविट करें)			
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %			
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
	I			
	II			
	लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
	क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य		1क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
	घ योग (1ख + 1ग)	1घ		
	ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है		1ङ	
	च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च	

	छ 1च का 30%	1छ	
	ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
	झ योग (1छ + 2ज)		1झ
	ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		1ञ
	ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य
			पिन कोड / जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)		
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता % <input type="text"/>		
	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार संख्या	
	I		
	II		
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं। (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)
		I	
		II	
			किराएदार(रों) का पैन/ टैन/आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
	क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ग के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ग के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
	घ योग (2ख + 2ग)	2घ	
	ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
	च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च	
	छ 1च का 30%	2छ	
	ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
	झ योग (2छ + 2ज)		2झ
	ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		2ञ
	ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)		2ट
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*		3
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2ख का अंक लें)		4

टिप्पण ▶ इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची भतझ में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनझ में निर्दिष्ट पास थू आय विनिर्दिष्ट करें

टिप्पण ▶ यदि धारा 194झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है।
यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv)	1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]	2क	
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रवि-ट करें)	2ख	
3	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय /प्राप्तियां	क गृह संपत्ति ख पूंजी अभिलाभ ग अन्य स्रोत घ धारा 115खखच ङ धारा 115खखछ	3क 3ख 3ग 3घ 3ङ
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि जो आयकर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड./ 44ख/ 44खब/ 44खखक/ 44खखख/ 44घ/ 44घक/ 44घख/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ के सिवाय) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	4क	
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख	
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	4ग	

5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क			
	(ख) एओपी/वीओपी से आय का अंश	5ख			
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i	ग i			
	ii	ग ii			
	iii योग (ग i + गii)	5ग iii			
	(घ) कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)		5घ		
6	बकाया (1-2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ङ - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)				6
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क गृह संपत्ति	7क		
		ख पूंजी अभिलाभ	7ख		
		ग अन्य स्रोत	7ग		
		घ धारा 115खखच	7घ		
		ङ धारा 115खखछ	7ङ		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय		8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)		8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8क + 8ख)		9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण				11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)	12i			
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-इक के अनुसार)	12ii			
	iii कुल (12i + 12ii)				12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)				13
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 6S)	14			
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 7झ)	15			
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 8कज)	16			
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णझ का 9च)	17			
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय है (भाग क -णझ का 11ज)	18			
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय व्याज	19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय	21			
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22			
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23			
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारती भागीदार है)	24			
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्ट्राक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)	25			
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27			
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28			
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है (अनुसूची उधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29			
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क -णझ का 8ख)	30			
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णझ का 10ज)	31			
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम				32

33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची ण्ड का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34	
35	आय (13+26-34)	35	
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	36i	
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii	
	iii धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	36iii	
	iv धारा 44ख	36iv	
	v धारा 44खख	36v	
	vi धारा 44खखक	36vi	
	vii धारा 44खखख	36vii	
	viii धारा 44घ	36viii	
	ix धारा 44घक	36ix	(प्रारूप 3गड की मद 4)
	x धारा 44घख	36x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख के सिवाय)	36xi	
	xii कुल (36i to 36xi)	36xii	
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36xii)	37	
38	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ड + 38च)	क 38	
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क	
	ख नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ख	
	ग नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ग	
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38घ	
	ड नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ड	
	च नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय	38च	
39.	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ड.)]	39	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
	40 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40	
	41 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	41	
	42 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां	42	
	43 सट्टेबाजी के कारबार से आय (40+41-42) (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ट में ले जाएं)	आ43	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन		
	44 लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	44	
	45 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	45	
	46 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है	46	
	47 विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44+45-46)	47	
	48 धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)	48	
	49 विनिर्दिष्ट कारबार से आय (47-48) (हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गचट में ले जाएं)	इ49	
	50 धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाएं)	इ50	
घ	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)	D	घ
	'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ ख43+ ग49)		

क्र.सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को तभी भरे जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात् कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
ड	धारा 115 ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से होने वाली आय की गणना			
	(i) धारा 115 ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से निवल लाभ अथवा हानि			(i)
	(ii) धारा 30 से धारा 43ख के अनुसार जोड़ना			(ii)
	(iii) धारा 30 से धारा 43ख के अनुसार कटौती			(iii)
	(iv) धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से होने वाली आय			(iv)
च	चालू वर्ग की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष			
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरे जब संख्या नकारात्मक हो)		(क 38)	
ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 43)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)		
iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(ड 4)		
v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)			
v	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शेष हानि (i - v)			

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

क्र.सं.	विवरण	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	आस्तियों का ब्लाक				
2	दर (%)				
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+ 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,				
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अननुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 ढ़ 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			5	10	40	10			
2	दर (%)	Nil	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन								
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन								
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण								
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण								
12	कुल अवक्षयण (10+11)								
13	आयकर अधिनियम (सूतंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,								
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)								
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (सूतंभ 14 में से) की स्थिति में अननुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास								
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय								
17	धारा 50I के अधीन पूँजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3-4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)								
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								

अनुसूची - डीडीपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	संयंत्र और मशीनरी			1क		
		क	ख			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)		1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)		1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)		1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)		1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ	
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)					
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)		2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)		2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)		2ग		

	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ	
3		फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4	
5		पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5	
6		कुल अवक्षयण (1ड+2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-20iv)	1घ		
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)	1ड		
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4	
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5	
6	कुल अवक्षयण (1ड+ 2घ + 3 + 4 + 5)			6	

अनुसूची इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 बख)			
viii	35गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यायों का उल्लेख करें।			

अनुसूची-पूजी अभिलाभ

पूजी अभिलाभ

क	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)			
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)			
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii
		iii	पूजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (काi) का 1.05 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (काi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii

ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
	iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii				
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
ग	तुलन क iii - ख iv)			1 ग			
घ	धारा 54 घ/ 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)			1 घ			
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)				क 1 ङ		
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)						
	क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड
टिप्पण ▶	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।						
2	स्लम्य विक्री से						
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य		2 क	(प्ररूप 3 गडक का 5)			
ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य		2 ख	(प्ररूप 3 गडक का 6(डू))			
ग	स्लम्य की विक्री से अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (2 क- 2 ख)						
क 2 ग							
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1) (ii) (ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है						
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3 क			
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii				
	iv	योग(i + ii + iii)	ख iv				
ग	शे-ग (3 क - ख iv)			3 ग			
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)			3 घ			
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)				क 3 ङ		
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभ/आय/बोनस के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)						
क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है			क 4			
ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है			क 4			
5	अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)						
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें ।					
	क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
	ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य					
	ग	पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)		ग			
	ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
	iii	कुल (ग + ii)		क			
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv				
ग	शे-ग (5 क iii - ख iv)			5 ग			
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)			5 घ			
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)				क 5 ङ		
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से						
क	i	विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें ।					
	क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					

	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
ग	शेन (क iii - ख iv)		1 ग				
घ	धारा 54 घ / 54 ङग/ 54 छ / 54 झ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		1 घ				
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		ख 1 ङ				
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
	क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड
टिप्पण ▶	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।						
2	स्तम्प विक्री से						
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2क	(प्ररूप 3गडक का 5)			
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	(प्ररूप 3गडक का 6(ड))			
	ग	शेन (2 क - 2 ख)	2 ग				
	घ	धारा 54ङग के अधीन कटौती	2 घ				
	ङ	स्तम्प के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)	ख 2 ङ				
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)						
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
	ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)	ख 3ग				
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से						

	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii				
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv				
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)	ख 4 ग				
5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से						
	उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)						
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)						
	इंटेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी						
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से						
	क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।				
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i	क		
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i	ख		
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i	ग		
		II	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
		iii	कुल (iग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					ख 6
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)					ख 7 ग
8	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से						
	उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14))						
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं						

	क	I विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।										
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ik								
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ix								
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ig								
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii								
		iii	कुल (ig + ii)	क iii								
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii								
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv								
	ग	अतिशेष (क iii- खiv)			9 ग							
	घ	धारा 54घ/धारा 54ख/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			9 घ							
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)			ख 9 ङ							
10	क	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं (नोट: यदि किसी मामले में कोई धनराशि पूंजीगत अभिलाभ के उपयोग में नहीं लाई जाती है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. 'ग' भरें)										
	क	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में आस्तियां अंतरित की गई है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि						
		i	2016-17	54घ/54ख/54छक								
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)				ख10						
11	क	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय, (अनुसूची तनज भरें) (आ11क + आ11ख)				B11						
		क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क1						
		क2	धारा 112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क2						
		ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य			आ11ख						
12	क	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एलटीसीजी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है										
		क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि									ख12क	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख12ख	
13	क	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9घ + ख10 + ख11 - ख12क)									ख13	
ग	"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)											ग
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना											
1	घ	धारा 54घ / धारा 54ङग/धारा 54ख/धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।										
		क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
		i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
		ii	नई भूमि या आब्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत					क ii				
		iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निशेष की गई रकम					क iv				

	v	कम किए गए दावे की रकम	क v	
ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ख ii	
	iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	कम किए गए दावे की रकम	ख iv	
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ग ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ग iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	ग v	
घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घ ii	
	iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घ iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	घ v	
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)			1 ड

ड पूंजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग की पूंजी हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड* + अ4क* + अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग* + आ5* + आ7ग* + आ8* + आ11क1* + आ11क2*)	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ग* + आ6* + आ9ड* + आ10 + आ11ख)	आ12ख	

ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड* + अ4क* + अ8क*)							
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)							
v		डीटीएए दर	अ9ख*							
vi		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ4ग* + आ5* + आ7ग* + आ8* + आ11क1* + आ11क2*)						
vii	20%		(आ1ग* + आ2ड* + आ3ग* + आ6* + आ9ड* + आ10 + आ11ख)							
viii	डीटीएए दर		आ12ख							
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i - ix)									

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।						
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।						
च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विनय में सूचना						
	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5u से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					

अनुसूची-112क किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।													
क्रम सं..	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	इंडेक्सेशनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
4					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
पंक्ति जोड़ें													
कुल					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं..	आईए सआई एन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री- मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटीतियां (7+12)	शेष (6- 13) – आईटीआर -5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 8 (क)	
(कॉलम 1)	(कॉल म 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
2					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
3					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
4					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
पंक्ति जोड़ें														
कुल					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1
क	लाभांश, सकल [(धारा 10(34) और धारा 10(35) के अंतर्गत छूट नहीं]]			1क	
ख	व्याज, सकल (खि + खii + खiii + खiv)			1ख	
	i	वचन खाता से	खि		
	ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खii		
	iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii		
	iv	पास ध्र आय की प्रकृति की आय/हानि में	खiv		
	v	अन्य	खv		
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग	
घ	धारा 56(2) (म) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है			1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घि		
	ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii		
	iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घiv		
	v	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घv		
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1				
	2				
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है				
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)				2
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय			2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खि + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खि		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गि से गix का योग)			2 ग	
	i	अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त व्याज	ग ii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त व्याज	ग iii		
	iv	धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग में निर्दिष्ट व्याज	ग iv		
	v	धारा 115A(1)(क)(v) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट व्याज	ग v		
	vi	धारा 194छक में निर्दिष्ट व्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(vi) के अधीन प्रभार्य	ग vi		
	vii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23ब) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(vii) के अधीन प्रभार्य	ग vii		
	viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग viii		
	ix	अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बंधपत्र या जीडीआरसे लाभांश द्वारा आय-धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	ग ix		
	x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से लाभांश द्वारा आय-धारा 115कगक अधीन प्रभार्य	ग x		

2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						
---	---	--	--	--	--	--	--

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष-1 दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शे-1 बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				

Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेन हानि (i - xv)					

अनुसूची-वीएफएलए

पूर्व वर्गों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ग की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिवेट)	मुजरे के पश्चात् शेन बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ग की मुजरे के पश्चात् शेन बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)				

अनुसूची-सीएफएल

भावी के वर्गों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि			सट्टे के कारवार और विनिर्दिष्ट कारवार से भिन्न कारवार से हानि	सट्टे के कारवार से हानि	विनिर्दिष्ट कारवार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि			दीर्घकालिक पूंजी हानि			दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
			सामान्य	पीटीआई	कुल (4ग=4क+4ख)					सामान्य	पीटीआई	कुल (9ग=9क+9ख)	सामान्य	पीटीआई	कुल (10ग=10क+10ख)	
1	2	3	4क	4ख	4=4क+4ख	5	6	7	8	9a	9b	9c	10a	10b	10c	11
I	2010-11							कांट-छांट योग्य								
ii	2011-12							कांट-छांट योग्य								
iii	2012-13															
iv	2013-14															
v	2014-15															
vi	2015-16															
vii	2016-17															
viii	2017-18															
ix	2018-19															
x	2019-20															
xi	पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/ च															
Xii	यूनिट धारक के बीच वितरित की गई हानि (केवल निवेश निधि के लिए लागू)															
xiii	पूर्व वर्ष के कुल उपलब्ध शेष राशि b / f (xi-xii)															
xiv	अनुसूची वीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन				(अनुसूची वीएफएल का 2i)	(अनुसूची वीएफएल का 2ii)	(अनुसूची वीएफएल का 2iv)	(अनुसूची वीएफएल का 2v)	(अनुसूची वीएफएल का 2iii)							(अनुसूची वीएफएल का 2xiv)

हानि का अग्रणीत

xv	2020-21 चालू वर्ष की हानियों को अंग्रेजित करें			(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीएफ का 43, यदि -1ड)	(अनुसूची बीएफ का 49, यदि -1ड)	अनुसूची बीपी का ड(iv) (यदि नकारात्मक हो)			(2x + 3x + 4x) अनुसूची सीजी के मद ड)			(6x+7x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि -1ड)
Xvi	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि														
xvii	यूनिट-होल्डर के बीच वितरित चालू वर्ष में हानि (केवल निवेश निधि के लिए लागू)														

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अंग्रेजित शे-1 रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-अधिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्रम सं.	बचनबंध	निर्धारण ब-र्न जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम सं.	रकम
	क	बचनबंध सं0 1		क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 1 के लिए
	ख	बचनबंध सं0 2		ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 2 के लिए
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)				ड
नोट : (यदि धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है, तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. ख भरें)					

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
	i				
	ii				
	iii	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
	i				
	ii				
	iii	कुल			
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
	i				
	ii				
	iii	कुल			
	घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान			
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
	i				
	ii				
	iii	कुल			
	ड	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)			

अनुसूची 80छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं.	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची आर. ए अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(iii) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौती)

दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
		नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i					
ii					
iii कुल					

अनुसूची-80-अक धारा 80- ठक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80-अक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसररचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ख	धारा 80-अक(4) (ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	धारा 80-अक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	धारा 80-अक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ङ	धारा 80-अक(4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
च	धारा 80-अक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2 + ङ1 + ङ2)			च

अनुसूची-80-अख धारा 80-अख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80अख(4))	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80अख(4))	ख1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80अख(5))	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80अख(7क))	घ1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
ङ	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80अख(7ख))	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
च	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80अख(9))	च1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		च2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
छ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(10))	छ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		छ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ज	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11))	ज1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ज2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
झ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11क))	झ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		झ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ञ	अनाज की संभलार्ई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारवार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11क))	ञ1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ञ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ट	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11ख))	ट1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))
		ट2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))
ठ	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8अख (11ग))	ठ1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))
		ठ2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))
ड	धारा 80अख के अधीन कुल कटौती (क1 से ट2 का योग)			ड

अनुसूची-80-अग धारा 80-अग या धारा 80अड के अधीन कटौतियां

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
	घक असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घक2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	घख अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	घग मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)

	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ	
3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)			3
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3) का 18.5 प्रतिशत या 9 प्रतिशत] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			4

अनुसूची एमटीसी		धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2020-21 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का 1घ)	1				
2	निर्धारण वर्ष 2020-21 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का 4)	2				
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]	3				
4	उपलब्ध एमटीसी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोगित एमटीसी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अद्यधोनी होगी और वह अग्रणीत एमटीसी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (अ)	एमटीसी प्रत्यय		चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एमटीसी	अग्रणीत अतिशे-1 एमटीसी जमा (घ) = (ख3) - (ग)	
	i	2013-14	सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशे-1 (ख3) = (ख1) - (ख2)	
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविट करें)				
	ix	योग				
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार)]					5
6	पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एमटीसी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविट करें]					6

अनुसूची एसआई		विशेष-1 दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)			
क्र.सं.	धारा / विवरण	☑	विशेष-1 दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क या धारा 115कघ(1)(iii)- परंतुक(शेयर/इक्विटी उन्मुख एमएफ पर एमटीसीजी जिनपर एमटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एमटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की विक्री पर एलटीसीजी जिनपर एमटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	10	(अनुसूची ग छ के ख 5 च और ख 8 च)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीपी का भाग 4ख)	
13	115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)	
14	115 खख (लॉटरी, बर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115 खखचक (10 लाख रुपये से अधिक घरेलू कंपनी से लाभांश आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घख)	
16	115 खखड (धारा 68, 69, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घखvi)	
18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 8ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घखvii)	
19	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2घviii)	
20	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभाय है	☐		(अनुसूची ओएस के 2च का भाग)	
21	15% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	15	(अनुसूची ओएस के 2vi का भाग)	
22	30% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	30	(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)	

23	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)
24	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ix)
25	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)
26	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
			योग	

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है							
क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम	
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय	1	
2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)	2	
3	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i	
	ii कृषि पर उपगत व्यय	ii	
	iii पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii	
	iv वर्ष(i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि (यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें)	3	
	v वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)		
	क पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।		
	ख एकड़ में कृषि भूमिक का मापन		
	ग क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)		
	घ क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)		
4	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4	
5	डीडीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं आय		
	क्र.सं	आय की रकम	आय की प्रकृति
	I		
	II		
	III	कर से प्रभार्य नहीं डीडीए से कुल आय	
			5
6	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)	6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7	

अनुसूची पीटीआई धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्र.सं	धारा	कारबार	कारबार न्यास	क्र.सं	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की	निवेश इकाई	निवल	ऐसी रकम
--------	------	--------	--------------	--------	-------------	----------------	------------	------	---------

	115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	न्यास / विनिवेश निधि का नाम	/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या		आय	द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	आय/हानि 9=7-8	पर खोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.				i	गृह संपत्ति					
				ii	पूँजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				कii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य खोत					
				क	लाभांश (धारा 115-ओ में संदर्भित)					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23चख) के अधीन					
				ख	धाराके अधीन					
				ग	धारा.....के अधीन					
				2.				i	गृह संपत्ति	
ii	पूँजी अभिलाभ									
क	अल्पकालिक अवधि									
का	धारा 111क									
कii	अन्य									
ख	दीर्घकालिक अवधि									
खा	धारा 112क									
खii	धारा 112क के अलावा अन्य									
iii	अन्य खोत									
क	लाभांश (धारा 115-ओ में संदर्भित)									
ख	अन्य									
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी									
क	धारा 10(23चख) के अधीन									
ख	धाराके अधीन									
ग	धारा.....के अधीन									

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टीपीएसए धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर के व्यौरे

धारा 1 प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है

2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
	ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
3	भुगतान किए गए कर						
4	निवल देय कर (2घ-3)						
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 3	तारीख 4	तारीख 5	तारीख 6
		(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
6	बैंक और शाखा का नाम						
7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या						
9	जमा की गई राशि						

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
क्र. सं	देश कोड	कर सदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारवार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारवार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)				
क्र. सं	देश कोड	कर सदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च घ झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च घ झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1	दावा की गई राहत के कर ब्यौरे					
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)					
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)					
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का सदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें					
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां/नहीं	
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें				

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा	
क्र. सं	अ1	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)	

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ट्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ3	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
आ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
ड	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।										

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।

क्र. सं०	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्तिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्त के संबंध में जानकारी

क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ▶ कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें।

अनुसूची डीआई निवेश का ब्यौरा

क) अध्याय VIक के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश / जमा / भुगतान

धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (अनुसूची VIक)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच किए गए निवेश / व्यय के फलस्वरूप कटौती

	के अनुसार- भाग ख- कतिपय भुगतानों के संबंध में कटौती)	(कॉलम नंबर 2 से बाहर)
(1)	(2)	(3)
80छ		
80छछक		
कुल		

ख) धारा 10कक के अंतर्गत कटौती की पात्र राशि

अनुसूची 10कक के अनुसार अंडरटेकिंग	अनुसूची 10 कक के अनुसार कटौती की राशि	एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार जारी अनुमोदन के पत्र की तारीख	क्या धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा करने का क्या यह पहला वर्ष है और क्या 01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच शर्तों का पालन किया गया है [हाँ/नहीं]
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडरटेकिंग 1			
अंडरटेकिंग 2			
अंडरटेकिंग 3			
कुल			

ग) धारा 54 ये 54छख के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ .भुगतान / अधिग्रहण / खरीद / निर्माण

दीर्घावधि पूंजीगत लाभ

धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. ख 10क के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि
(1)	(2)	(3)
54घ		
54छ		
54छक		
कुल		

लघु अवधि पूंजीगत लाभ

धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. क7क के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि
(1)	(2)	(3)
54घ		
54छ		
54छक		

कुल		
-----	--	--

भाग - ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट करबार के कारबार और विनिर्दिष्ट करबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i	
	ii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(ii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफएल में ये आंकड़े भरें)	2ii	
	iii सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफएल में ये आंकड़े भरें)	2iii	
	iv विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3घ, 3ड और 3iv)	2iv	
	vi योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्टि में ले जाएं)	2v	
3	पूँजी अभिलाभ		
	क अल्प कालिक		
	i 15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)	कi	
	ii 30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)	कii	
	iii लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)	कiii	
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	कiv	
	v कुल अल्प कालिक (कi + कii + कiii + कiv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ कालिक		
	i 10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खi	
	ii 20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii	
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii	
	iv कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख iv	
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3 कv + 3 खiv) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	3क	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क	
	ख विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 भरें)	4 ख	
	ग घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुसंधान क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग	
	घ योग (4 क + 4 ख + 4 ग)	4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ग + 4 घ)	5	
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ग की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 – 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग + 4ख + 2iv)	7	
8	7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	8	
9	सकल कुल आय (7 – 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग + 4ख + 2iv)	9	
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]	11क	
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित]	11ख	
	ग कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]	11ग	
12	कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय (12a + 12b + 12c)	12	
	क धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)	12क	
	ख धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में निर्दिष्ट निवेश विधि की आय	12ख	
	ग धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में कारबार-ब्याज विधि की आय	12ग	
13	कुल आय (9- 11ग -12)	13	
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)	14	
15	रेंट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)	15	
16	कुल आय (13 – 14 + 15) (यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा)	16	
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ग की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xv का योग)	17	
18	धारा 115अग के अधीन समझी गई कुल आय	18	

कर दायित्व की संरचना	1	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क	
		ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर	1ग	
		घ	माननी गई आय (1 क+1ख+1 ग) पर कुल संदेय कर	1घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर		
		क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख	
		ग	कुनि आय पर छूट /भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभावी अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग	
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख+2ग)	2घ	
		ङ	उपकर	2ङ	
		i	अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ङ i	
		ii	अनुसूची एसआई की 1 (ii) + 2 (ii), 7 (ii), 9 (ii), 21 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10% या 15% की दर पर	2ङ ii	
		iii	अनुसूची एसआई [(2घ) - [(12(ii)+ 1(ii)+ 2(ii), 7(ii), 9(ii), 21(ii), 24(ii)] पर	2ङ iii	
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2ङiii	2च		
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ +2ङ iv+ 2च)	2छ		
	3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)	3		
	4	पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)	4		
	5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)	5		
	6	कर राहत			
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क		
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख		
	ग	योग (6क + 6ख)	6ग		
	7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7		
	8	व्याज और देय फीस			
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग		
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ		
	ङ	कुल व्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)	8ङ		
	9	कुल दायित्व (7 + 8 ङ)	9		
संदत्त कर और बैंक के ब्यौरे	10		संदत्त कर		
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क	
		ख	स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख	
		ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग	
		घ	स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ	
	ङ	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ङ		
	11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ङ से अधिक है तो प्रविट करें, अन्यथा 0 प्रविट करें)	11		
	12	प्रतिदाय (यदि 10ङ, 9 से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा	12		
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)			हां या नहीं का चयन करें
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)			
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .
		i			खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
		ii			
	नोट:				
	1) रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर.				
	2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए				
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
	ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:				
	क्रम सं..	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएन
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

15 अनुसूची-आयकर															
क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे															
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड						निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)				चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)		
	i														
	ii														
	iii														

ख ख्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग के अनुसार]												
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार संख्या	अग्रेपित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी जब तत्स्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई है)	प्राप्त रसीद के अनुरूप		अग्रेपित टीडीएस क्रेडिट		
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेपित टीडीएस		स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)		स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन/ आधार संख्या	
i												
टिप्पण भाग ख खनन के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें												

ग ख्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरे [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणीत ख्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष (5) या (6) की राशि का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए इसी रसीद की पेशकश की जा रही है)	(6) या (7) में से अग्रणीत रकम
			वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							
टिप्पण कृपया भाग ग - टाटाआई क 10ख म स्तंभ (7) का योग प्रावष्ट कर ।							

सत्यापन

मैं _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्रीसत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (डाउन डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ । मैं एक स्थाई खाता संख्याधारक हूँ (यदि आवंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहाँ धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→